सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 76/15 **निर्णय दिनांकः– 25.06.2018**

1. अमीना पुत्री जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 5 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, छत्तरगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/11 की 20 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 24/19 की 6 ता 15 में 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 30 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक

16–07–1987 को आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान चक 6–8 पीकेडी कायम हुए। जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसका आगे की गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु राजस्व अमला द्वारा अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटित भूमि का चरणबद्व व समयबद्व तरीके से सक्षम संबंधित कार्यालय से अंकन नहीं कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त व निष्प्रभावी हो जाता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2032–35 वर्ष 1975–78 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि वन विभाग के अंकन हुई है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/11 की 20 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 24/19 की 6 ता 15 में 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 30 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 16—07—1987 को आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान चक 6—8 पीकेडी कायम हुए की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 16—07—1987 को आवंटन थी। अपीलांट द्वारा लगभग 26 वर्षो तक सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निष्प्रभावी व निरस्त हो जाता है। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादगत् भूमि चक 14 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 24/11 की 20 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 24/19 की 6 ता 15 में 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 30 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 16—07—1987 को आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान चक 6—8 पीकेडी कायम हुए की धोषणा करवाने अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का

वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 16—07—1987 को आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट को वर्ष 1987 से आवंटन थी तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अपीलांट द्वारा विधि सम्मत व समयबद्व, चरणबद्व तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है ना ही सेल रजिस्टर में खाता संधारित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2032—35 वर्ष 1975—78 अनुसार उक्त मुरब्बों में वन विभाग का अंकन है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 16—07—1987 को आवंटित थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते है तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि वन विभाग हेतु आरक्षि किये जाने के विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि दिनांक 16—07—1987 को आवंटन होने के कारण खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथाखसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—06—2015 उपखण्ड अधिकारी, पूगल बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर